



राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

पत्र संख्या-प0नि0-30-95 / 2026...3767
प्रेषक,

शम्भु कुमार
संयुक्त निर्वाचन आयुक्त,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)
-सह-जिला पदाधिकारी
भोजपुर

पटना, दिनांक- 15.09.2026

विषय : पंचायत परिसीमन हेतु उपलब्ध कराए गये GIS मैप(राजस्व ग्रामों) के नक्शों में आवश्यक सुधार के संबंध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक-2592 दिनांक 12.09.2026

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के माध्यम से आपके द्वारा वर्ष-2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर Enumeration Block की चौहद्दी आयोग के मोबाइल एप के माध्यम से प्रविष्टि के क्रम में उसकी सीमा उस राजस्व ग्राम की सीमा के बाहर प्रदर्शित होने संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त हैं।

(1) उक्त पत्र से प्रतीत होता है कि आयोग के पत्रांक-3656 दिनांक 08.09.2026 में वर्णित निदेशों एवं निर्धारित प्रक्रियों का अनुपालन नहीं हुआ है। अतः प्रासंगिक पत्र के आलोक में पुनः क्षेत्र सत्यापन प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा अंचल अधिकारी, अंचल अमीन एवं राजस्व कर्मचारी के साथ किया जाए।

(2) प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में की गयी प्रविष्टि का डाटा विलोपित कराकर पुनः सत्यापन कार्य किया जाए एवं संबंधित प्रखंड के राजस्व ग्रामवार स्पष्ट मंतव्य सहित प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए ताकि यथोचित कारवाई की जा सके। विदित हो इस संबंध में DPRO/DiO/IT Manager/BDO/तकनीकी सहायक सभी को प्रशिक्षण भी दिया गया है।

(3) EB के Geo-Tagging में यदि किसी EB का मध्य बिंदु(Centre Point) राजस्व ग्राम की सीमा के बाहर प्रदर्शित सत्यापित होता होता है तो 2011 की जनगणना के चार्ज रजिस्टर की सहायता से पुनः सत्यापन अपेक्षित है।

अतः अनुरोध है कि आयोग को भेजने के पूर्व अपने स्तर से गंभीरता से समीक्षा करके समस्याओं का निराकरण किया जाय एवं विशेष परिस्थिति में ही आयोग को मंतव्य के साथ प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की कृपा की जाए

विश्वासभाजन

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त।